

विमो - 3606 / 2018 / रीवा / भू-५०

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर सर्किट कोट
रीवा (म०प्र०)

अधिकांश मुनेन्द्र मिश्रा
द्वारा चेप्रा 10/11-6/18

[Handwritten signature]
~~कलम 20 के अन्तर्गत~~
~~कलम 20 के अन्तर्गत~~
~~कलम 20 के अन्तर्गत~~



- 1- विजय कुमार श्रीवास्तव तनय स्व० श्री महावीर प्रसाद श्रीवास्तव, निवासी चित्रगुप्त मंदिर के सामने तरहटी रीवा, तह० हुजूर, जिला रीवा म०प्र०
- 2- एस.के. अग्रवाल तनय श्री मोतीलाल अग्रवाल, निवासी एच०आई०जी० 97 दीनदयाल कालोनी पड़रा रीवा, तह० हुजूर, जिला रीवा (म०प्र०)

-----निगरानीकर्तागण / आवेदकगण

बनाम्

पार्थ इण्डिया लिमिटेड 76 माल रोड़ महु द्वारा प्रबंधक डी०एस० मिश्रा स्थित कार्यालय वाई पास रतहरा, रीवा, तह० हुजूर, जिल रीवा (म०प्र०)

----- गैरनिगरानीकर्ता

निगरानी विरुद्ध आदेश अनुविभागीय अधिकारी तह० हुजूर जिला रीवा म०प्र० प्रकरण क्रमांक 232बी/121/17-18 में पारित आदेश दिनांक 04.06.2018

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म०प्र० भू-राजस्व संहिता ।

मान्यवर

निगरानी से संबंधित तथ्य निम्नलिखित है :-

- अ- भूमि नं० 411/3 रकवा 0.093हे, 411/8 रकवा 1.007हे.
411/1/1 रकवा 0.332हे. स्थित ग्राम अटरिया, प०ह० अमवा, तह०

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

निग./3606/2018/भू.रा./रीवा

विजय कुमार श्रीवास्तव विरुद्ध पार्थ इण्डिया लिमि.

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
20-06-2018	<p>आवेदक के अधिवक्ता श्री मुनेन्द्र कुमार मिश्रा उपस्थित हुये, उन्हें कायमी पर सुना गया ।</p> <p>2/ अनुविभागीय अधिकारी के आदेश की प्रति एवं प्रकरण का अवलोकन किया, जिससे स्पष्ट है कि अनुविभागीय अधिकारी ने संहिता की धारा 51 पर विश्लेषण कर आदेश पारित करते हुये आवेदक का पुनर्विलोकन आवेदन निरस्त किया है। अनुविभागीय अधिकारी ने जो आदेश पारित किया है उसमें प्रथमदृष्टया कोई वैधानिक त्रुटी नजर नहीं आती है। अतः निगरानी अग्राह्य की जाती है ।</p> <p>3/ पक्षकार सूचित हो । प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो ।</p>	<p>Wm/20/6/18 सदस्य</p>